भारत आए सभी शरणार्थियों जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भी शामिल हैं, के स्थाई पुनर्वास के लिए राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारें योजनाएं तैयार कर रही हैं।

नेहरू कम्पलेक्स के निष्क्रान्त व्यक्तियों को मुआवजा

9463. **श्री मोहम्मद शमसूल हसन खां :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री नेहरू कम्पलेक्स के लिए भूमि के बारे में 12 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3552 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ऊपरि टैंक तथा कार पार्क शेड पहले ही तैयार हो चुके हैं, तब अधिसूचना जारी न करने और मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या यह बात संवैधानिक उपबन्धों के विरुद्ध नही है ;

(ग) क्या वह अधिसूचना जारी करने और मुआवजे का भुगतान करने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित करेंगे यदि हां तो कब तक ; और

(घ) भूमि के मालिकों को हुई परेशानी, उनके अधिकारों से वंचित किए जाने और उनको हुई वित्तीय हानि का किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूमि का सीमांकन तथा कुछ अन्य तत्व शामिल है।

(ख) यह भू-अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है।

(ग) भू-अर्जन की आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए सभी प्रयत्न किए जायेंगे लेकिन अधिसूचना जारी करने के लिए निश्चित तारीख नही दी जा सकती।

(घ) अवार्ड की घोषणा के बाद अधिकृत मालिकों को मुआवजा मिलेगा। यदि वे सम्बन्धित शर्तें पूरी कर देंगे तो उन्हें वैकल्पिक प्लाट भी दिए जायेंगे।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

9464. **श्री कैलाश प्रकाश :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अधीन अध्यापको को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते है, और यदि हां, तो यह योजना कब आरंभ की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए और उनमे महिला अध्यापको और हैड-मास्टरों की संख्या क्या है ; और

(ग) पुरस्कार प्राप्त करने वालों को क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरुआ) : (क) जी हां। योजना 1958-59 में शुरू की गई थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पुरस्कार प्राप्त अध्यापको को केवल इस आधार पर कि उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है अब कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती। तथापि यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त